कार्यालय, जिला परिषद्, लोहरदगा।

Phone Number:- 06526-222064 *email-id: lohardagazilaparisad@gmail.com*

सूचना

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् का मनोनयन

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 15(2) के द्वारा ग्राम पंचायत में एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 33(1)(ड.) सहपाठित धारा 36(क)(6) एवं 36(ख)(8) के द्वारा पंचायत समिति तथा धारा 49(1)(ड.) सहपाठित धारा 51(क)(6) एवं 51(ख)(7) 8 जिला परिषद् में एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा एक-एक विशिष्ट व्यक्ति को मनोनयन करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में एक-एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा मनोनित किया जाना है।

ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्य में मनोनयन हेतु आवेदन करना चाहते हों वे विहित आवेदन प्रपत्र में दिनांक 31.10.2018 तक अपना अभ्यावेदन ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में तथा जिला परिषद सदस्य हेतु, जिला परिषद कार्यालय में जमा करेंगे।

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में मनोनयन हेतु निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है:-

1. मनोनित सदस्य संबंधित क्षेत्र के ही हों, अर्थात् ग्राम पंचायत के लिए मनोनित सदस्य उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के/पंचायत समिति के मनोनित सदस्य उसी पंचायत समिति क्षेत्र के / जिला परिषद् के मनोनित सदस्य उसी जिला परिषद् क्षेत्र के सामान्यत्या निवासी हो।(संबंधित क्षेत्र के मतदाता होने संबंधित प्रमाण पत्र देंगे)
2. मनोनित किये जाने वाले सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष हो।
3. मनोनित व्यक्ति झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की धारा 19, 38 एवं 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्य घोषित न हो।(स्व घोषणा पत्र देंगे)
4. मनोनित व्यक्ति पर आपराधिक वाद न हो, न ही वे बैंको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओ के Wilful Defaulter हो।
5. मनोनित व्यक्ति के घर में निजी शौचालय हो, जिसका उपयोग उनके परिवार सदस्यों द्वारा किया जाता हो।
6. मानोनित सदस्य पंचायत राज, क्षेत्रीय विकास, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं Mobilization, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति, स्थानीय/ ग्रामीण अवसंरचना विकास आई0टी0 के द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान, युवा कल्याण, सामजिक एवं सास्कृतिक विकास, कृषि, पशुपालन, सिंचाई एवं अनशांगिक कार्य, जनसंख्या नियंत्रण आदि क्षेत्रो में उल्लेखनीय कार्य किया हो।

*** आवेदन हेतु विहित प्रपत्र http://www.lohardaga.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जिला परिषद् कार्यालय एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।**

Sd/-
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लोहरदगा।

ज्ञापांक :- 474 /जि0प0, दिनांक :- 9/10/18

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, लोहरदगा/ जिला जन संपर्क पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निविदा आमंत्रण सूचना को **Lohardaga.NIC.in** पर अपलोड करने एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

09/10/18

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद. लोहरदगा।

170
09-10-18
NIC

प्रपत्र

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के मनोनयन के लिए

फोटो

1. नाम :–

2. पिता / पति का नाम :–

3. उम्र :–

4. शैक्षणिक योग्यता :–

5. पत्राचार पता :–

6. स्थाई पता :–

7. ग्राम पंचायत का नाम :–

8. पंचायत समिति क्षेत्र का नाम :–

9. जिला परिषद का क्षेत्र का नाम एवं संख्या :–

10. क्या झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की धारा 19, 38 एवं 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्य घोषित हैं। (हॉ या ना, यदि हॉ तो कारण दें।) :–

11. कोई अपराधिक वाद चल रहा है ? :–

12. क्या किसी भी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर(दोषी/दिवालिया) है (हॉ या ना) :–

13. क्या शारिरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हैं ?

14. क्या आपके घर में निजी शौचालय है जिसका उपयोग आपके एवं आपके परिवार के द्वारा किया जाता है (हॉ या ना) :–

15. विशिष्टता (यदि कोई हो) :–
    (मनोनित सदस्य पंचायत राज, क्षेत्रीय विकास, स्वंय सहायता समुह के गठन एवं Mobilization, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति, स्थानीय/ ग्रामीण अवसंरचना विकास आई0टी0 के द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान, युवा कल्याण, सामजिक एवं सास्कृतिक विकास, कृषि, पशुपालन, सिंचाई एवं अनशांगिक कार्य, जनसंख्या नियंत्रण आदि क्षेत्रो में उल्लेखनीय कार्य किया हो।)

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती, पिछडे वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विशेष कार्य किया हो :–

17. मोबाईल नं0 एवं ई–मेल पता :–

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाऍ मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। इनमें से कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मैं दण्ड का भागी होउंगा/ होउंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर